राजस्थान सरकार

औषधि नियंत्रण संगठन, **स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, जयपुर, राजस्थान**

क्रमांक/डीसी/डी–2/सैल पत्रावली/2018/ 46 दिनांक 15/02/2018

::परिपत्र::

विषयः– औषधिय गर्भपात संबंधित गोलियों (Tablets Misoprostol & Tablets Mifepristone) की अनियमित बिक्री के संबंध में ।

दिनांक 8 दिसम्बर 2017 को मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, राजस्थान की अध्यक्षता में हुई औषधि नियंत्रण अधिकारियों (DCOs) की राज्य स्तरीय बैठक में यह सामने आया कि राज्य में कुछ औषधिय विक्रेता चिकित्सकीय गर्भसमापन अधिनियम–1971 (MTP Act-1971) तथा Drugs and cosmetic Act का उलंधन करते हुए बिना किसी पंजीकृत एवं अधिकृत चिकित्सक सेवा प्रदाता के Prescription के ही अपने ग्राहकों को गर्भपात की गोलियाँ (Tab. Misoprostol & Tab. Mifepristone) बेच रहें हैं। इसमें से अधिकतर स्थितियों में क्रेता को किसी भी प्रकार का कोई बिल या रसीद भी नहीं दिया जाता है तथा इससे संबंधित कोई रिकॉर्ड भी विक्रेता द्वारा नहीं रखा जाता है।

MTP Act-1971 के अनुसार, किसी पंजीकृत एवं अधिकृत चिकित्सक के द्वारा ही उचित जाँच व परामर्श के बाद ही यह गोलियाँ Prescribe की जा सकती है। इसके अलावा Drugs and Cosmetic Act के अनुसार Schedule 'H' औषधि होने के कारण बिना Prescription इन गोलियों को बेचना कानूनन अपराध भी है।

किसी अपंजीकृत या अनाधिकृत व्यक्ति द्वारा गर्भ समापन करना MTP Act के अनुसार एक दण्डनीय अपराध है जिसके अर्न्तगत 2 से 7 वर्ष तक का कारावास हो सकता है। इसके अतिरिक्त Schedule 'H' औषधि होने की वजह से बिना Prescription बेचते हुए पाये जाने पर औषधि विक्रेता का लाइसेंस निरस्त किया जा सकता है। इन गोलियों को बिना चिकित्सकीय राय के देने से महिला के स्वास्थ्य को बहुत हानि हो सकती है, बिना सही सलाह व जाँच के औषधि लेने के उपरान्त गर्भपात न होने की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है जिससे होने वाले बच्चे को शारीरिक व मानसिक जटिलतायें हो सकती है तथा कुछ परिस्थितियों में तो महिला की मृत्यु तक भी हो सकती है।

P.T.O.

Drugs and Cosmetic Act के अनुसार यह अनिवार्य है कि औषधि विक्रेता Schedule 'H' औषधि को खरीदते समय, मान्य रसीद प्राप्त करें तथा औषधि का नाम, बैच संख्या एवं औषधि उत्पादनकर्ता की जानकारी को 2 वर्षों तक सुरक्षित रखें साथ ही इन औषधियों को बेचते समय ग्राहक का विवरण, मात्रा, चिकित्सक का नाम एवं मूल्य आदि विवरण 3 वर्षों तक अपने रिकॉर्ड में सुरक्षित रखें।

अतः सभी औषधि नियंत्रण अधिकारियों (DCOs) को निर्देशित किया जाता है कि अपने–अपने कार्यक्षेत्र में इस संबंध में नियमित तौर पर उपरोक्त दिशानिर्देशानुसार निरीक्षण करे तथा नियमों के उलंघन पाये जान पर उचित कार्यवाही करते हुऐ विभाग को सूचित करें।

(राजा राम शर्मा)
औषधि नियंत्रक
राज0 जयपुर

क्रमांक/डीसी/डी–2/सैल पत्रावली/2018/ 46 दिनांक 15/02/2018

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. निजी सचिव, मिशन निदेशक (एन.एच.एम.) मुख्यालय।
2. निजी सहायक, निदेशक (आर.सी.एच.) मुख्यालय।
3. राज्य कार्यक्रम प्रबंधक (एन.एच.एम.) मुख्यालय।
4. परियोजना निदेशक (मातृ स्वास्थ्य/पीसीपीएनडीटी) मुख्यालय को उनकी अनौ0 टिप्पणी क्रमांकः एफ7 एनएचएम/एमएच/सीएसी/2018/605 दिनांक 31.01.2018 के क्रम में।
5. राज्य नोडल अधिकारी (एम.डी.आर.) मुख्यालय।
6. औषधि नियंत्रक (द्वितीय) मुख्यालय।
7. समस्त सहायक औषधि नियंत्रक, राजस्थान राज्य।
8. समस्त औषधि नियंत्रण अधिकारी, राजस्थान राज्य।
9. प्रभारी, सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त पत्र को विभागीय वैबसाईट पर अपलोड करने के साथ ही समस्त सहायक औषधि नियंत्रक एवं समस्त औषधि नियंत्रण अधिकारी, राजस्थान की ई–मेल पर भेजना सूनिश्चित करें।
10. गार्ड फाईल

(राजा राम शर्मा)
औषधि नियंत्रक
राज0 जयपुर